भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
बायोटेक्नोलोजी विभाग
****

मासिक मंत्रिमंडलीय सार, मई – 2020

I. माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय तथा प्रमुख उपलब्धियां :

(i) कोविड संबंधित पहल:

क. **कोरोना वैक्सीन और अन्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी केंद्रित शोध के लिए कार्य बल**: विभाग ने 5 मई, 2020 को माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य बल (टास्क फोर्स) की चर्चा बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान नेटवर्क के विस्तार में प्रगति कोविड-19 परीक्षण के लिए आवश्यक विनिर्माण घटकों के स्वदेशीकरण के साथ-साथ परीक्षण सुविधाओं पर प्रकाश डाला गया। बैठक के दौरान माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष विभाग की वैक्सीन विकास संबंधी गतिविधियों को भी प्रस्तत किया गया।

ख. **कोविड-19 अनुसंधान संघ (रिसर्च कंसोर्टियम) के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी)**: बायोटेक्नोलॉजी विभाग और इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी), ने कोविड से निपटने के लिए स्वदेशी अनुसंधान समाधान के विकास की सुविधा के लिए व्यापक प्रयासों के हिस्से के रूप में आरएफपी प्रकाशित किया था। पहले चरण में, बायोटेक्नोलॉजी विभाग-बीआईआरएसी द्वारा आगामी विचार के लिए 70 प्रस्तावों को सूचीबद्ध किया गया है। आमंत्रण का दूसरा चरण 15 मई, 2020 को समाप्त हो गया था, जिसके उत्तर में 598 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनकी समीक्षा की जा रही है।

ग. **सशक्त प्रौद्योगिकी समूह (ईटीजी) की पांचवीं बैठक और कोरोना वैक्सीन और अन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मुद्दों पर केंद्रित अनुसंधान के लिए पीएमओ द्वारा कार्य बल का गठन**: विभाग ने डॉ. विनोद पॉल, सदस्य (स्वास्थ्य), नीति आयोग और प्रो. के. विजय राघवन, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की सह-अध्यक्षता में 22 मई, 2020 को आयोजित बैठक में भाग लिया। विभाग ने पी.एम.केयर फंड, वित्तीय समर्थन के लिए समीक्षा हेतु कार्य बल के साथ डीबीटी, डीएसटी और आईसीएमआर द्वारा विचार किए जा रहे कोविड-19 वैक्सीन कैंडीडेट की सूची साझा की। बैठक में कोविड19 गतिविधियों के लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता और कोविड 19 के लिए एसीटी वृद्धि में भारत की भागीदारी पर भी चर्चा की

घ. **सार्स कोविड -** 2 **वायरस के** 1000 **जीनोम अनुक्रमण का शुभारंभ**: माननीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री, ने वायरल और मेजबान जीनोमिकी को समझने के लिए डीबीटी के स्वायत्तशासी संस्थानों द्वारा कोविड- 19 के प्रकोप के संबंध में सार्स कोविड - 2 वायरस की 1000 जीनोम अनुक्रमण की घोषणा की। प्रस्तावित अध्ययन में नैदानिक नमूनों से 1000 सार्स कोविड - 2 जीनोम का अनुक्रमण किया जाएगा। यह अध्ययन वायरल आरएनए में

वायरस के उभरते आणविक फ़ाईलोजिनी और उभरते म्यूटेशन को समझने में मदद करेगा और साथ ही मेजबान आनुवंशिक विविधताओं की पहचान करेगा जो संचरण, संवेदनशीलता और बीमारी की गंभीरता के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं। इस अध्ययन का समन्वय एनआईबीएमजी, कल्याणी द्वारा सीडीएफडी, हैदराबाद; आईएलएस, भुवनेश्वर; एनसीसीएस, पुणे; इनस्टेम, बेंगलुरु तथा अन्य डीबीटी स्वायत्त संस्थानों के साथ सक्रिय भागीदारी में किया जा रहा है । इस अध्ययन के निष्कर्ष कुशल नैदानिक प्रयास, वैक्सीन और ड्रग कैंडीडेटों के विकास में सहायता करेंगे और प्रकोप की रोकथाम के लिए नीतियां बनाने में मदद करेंगे। **24** मई **2020** तक, **430** वायरस नमूनों का अनुक्रमण और विश्लेषण किया गया है, जिसके **31** मई **2020** [illegible] है।

ङ. **कोविड**-19 **के लिए डीबीटी शहरी/क्षेत्रीय क्लस्टर**: देश भर के सरकारी संस्थानों में कोविड-**19** नमूनों के परीक्षण के लिए एक हब और स्पोक मॉडल में शहरी/क्षेत्रीय समूहों की स्थापना की जा रही है। नमूना एकत्रण, संचालन/संसाधन (बीएसएल-**2** फैसिलिटी) और परीक्षण (आरटी-पीसीआर) दोनों की क्षमता और विशेषज्ञता रखने वाले संस्थान और प्रयोगशाला हब के रूप में काम करती हैं और इनमें कई प्रयोगशालाएँ शामिल हैं, जिनमें आरटी पीसीआर मशीनें और आवश्यक उपकरण होते हैं और उनकी विस्तारित परीक्षण सुविधाओं के अनुरुप जनशक्ति मौजूद है। ये हब आईसीएमआर दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित मंत्रालयों/विभागों (डीबीटी, डीएसटी, सीएसआईआर, डीएई, डीआरडीओ, आईसीएआर आदि) द्वारा अनुमोदित सरकारी प्रयोगशालाएँ हैं। अब तक **20** शहरी/क्षेत्रीय क्लस्टर स्थापित किए गए हैं। इनमें **90** से अधिक संस्थाएं शामिल हैं और **1,60,000** से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है।

च. **प्रथम हब (स्टार्ट-अप और इनोवेटर्स के लिए नवाचार और विनियमों की सुविधा)**: प्रथम हब एक ऐसी सुविधा इकाई है, जो डीबीटी द्वारा बीआईआरएसी में स्थापित की गई है ताकि नवोन्मेषकों के प्रश्नों का समाधान किया जा सके। दुनिया भर में मौजूदा स्थिति के संबंध में, नवाचारों के प्रश्नों को हल करने के लिए हर शुक्रवार को विशेष प्राथमिकी हब कोविड-**19** सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। नियामक पाथवे, वित्तपोषण अवसर, सार्वजनिक खरीद, आईवीडी टेस्टिंग तथा वैधता, मानदंड तथा विशेष विवरण, निर्माण तथा टेस्टिंग अवसंरचना सहायता पर प्रश्नों को हल करने के लिए सीडीएससीओ, आईसीएमआर, एनआईबी, जीआईएम, केआईएचटी, बीआईएस, डीबीटी और बीआईआरएसी के प्रतिनिधि उपलब्ध हैं। ये सत्र **03** अप्रैल, **2020** से शुरू हुए। मई के महीने के लिए, कोविड-**19** के लिए सत्र **1, 8, 15** मई और **22** मई **2020** को आयोजित किए गए थे, यानी महीने के प्रत्येक शुक्रवार को। नियामक पाथवे, वित्तपोषण अवसर, सार्वजनिक खरीद, आईवीडी टेस्टिंग तथा वैधता, मानदंड तथा विशेष विवरण, निर्माण तथा टेस्टिंग अवसंरचना सहायता पर प्रश्नों को हल करने के लिए सीडीएससीओ, आईसीएमआर, एनआईबी, जीआईएम, केआईएचटी, बीआईएस, डीबीटी और बीआईआरएसी के प्रतिनिधि उपलब्ध थे। प्रथम हब के इन तीन सत्रों में कुल मिलाकर **50** से अधिक प्रश्न किए गए थे।

छ. **आंध्र प्रदेश मेडटेक ज़ोन (एएमटीजेड) में कोविड मेडटेक विनिर्माण विकास**: जैवप्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद् (बीआईआरएसी) बायोटेक्नोलॉजी विभाग के एक सार्वजनिक

क्षेत्र के उपक्रम द्वारा कार्यान्वित अपने राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन (एनबीएम) के माध्यम से विभाग, आंध्र प्रदेश मेडटेक ज़ोन (एएमटीजेड), विशाखापत्तनम का समर्थन कर रहा है। इन सुविधाओं को संयुक्त रूप से नैदानिक किट, वेंटिलेटर और इमेजिंग उपकरण के निर्माण के लिए आमतौर पर साझा किया जाता है और परीक्षण के लिए किट और अभिकर्मकों के स्वदेशी स्तर पर निर्माण का संचालन कर रहा है। एक तीन आयामी दृष्टिकोण- डीबीटी-एएमटीजेड कमान्ड [कोविड मेडटेक विनिर्माण विकास] रणनीति, डीबीटी, भारत सरकार और एएमटीजेड के परिस्थितिकी तंत्र द्वारा समर्थित है। वर्तमान में, एएमटीजेड ने 3 लाख आरटी-पीसीआर किट/माह, 1 लाख आरएनए निष्कर्षण किट/माह और 1 लाख वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम (वीटीएम)/माह की विनिर्माण क्षमता विकसित की है।

(ii) चिकित्सा जैवप्रौद्योगिकी

क. **अंतर-संस्थागत बायोडिजाइन केंद्र**: अंतर-संस्थागत बायोडिजाइन केंद्रों की स्थापना के लिए प्रस्ताव की घोषणा की गई। 34 प्रस्ताव प्राप्त हुए। चयन समिति की बैठक 8 मई को हुई थी और 11 प्रस्तावों को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से आगामी विचार के लिए चयनित किया गया।

ख. **राष्ट्रीय जैव चिकित्सा संसाधन स्वदेशीकरण कंसोर्टियम (एन बी.आर.आई.सी.)**: जैव चिकित्सा उत्पाद मूल्य शृंखला जिसमें कोविड19 के लिए वैक्सीन और नैदानिक चिकित्सा शामिल है विकासशील संसाधनों और सेवाओं के लिए एक सार्वजनिक निजी साझेदारी में स्वदेशी नवाचार को चलाने के लिए विभाग द्वारा एक पायलट परियोजना "राष्ट्रीय जैव चिकित्सा संसाधन स्वदेशीकरण कंसोर्टियम (एन बी.आर.आई.सी.)" की शुरूआत की गई । एन बी.आर.आई.सी. मंच का आयोजन सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स - (सी-सीएएमपी), बेंगलुरू ने एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइजेज (एबीएलई) और कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) के साथ मिलकर उद्योग भागीदार के रूप में की है। एनबीआरआईसी का उद्देश्य जैविकों की मांग-आपूर्ति के अंतराल को कम करना और कच्चे माल तथा उपकरणों के उच्च आयात निर्भरता को कम करना है।

(iii) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

क. **जीवन विज्ञान में मौलिक अनुसंधान में इंडो-जर्मन संयुक्त सहयोग**: ड्यूशे फोर्शचुंगसेमेन्सचफ्ट (डीएफजी, जर्मन रिसर्च फाउंडेशन) जर्मनी के सहयोग से विभाग, ने जीवन विज्ञान में मौलिक अनुसंधान में इंडो-जर्मन संयुक्त सहयोग के तहत वित्तपोषण के अवसरों की घोषणा की है। यह साझेदारी भारतीय और जर्मन शोधकर्ताओं को एकीकृत, महत्वाकांक्षी, अत्याधुनिक और नवीन मौलिक अनुसंधान परियोजनाओं के लिए समन्वित वित्तपोषण की तलाश करने में सक्षम बनाएगी, जिसमें महामारी विज्ञान या महामारियों जैसे कि वर्तमान में सार्स-कोविड-2 महामारी पर परियोजनाएं शामिल हैं। संयुक्त आमंत्रण प्रस्तावों के तहत तीन वर्ष

ख. **इंडो-ऑस्ट्रेलियन बायोटेक्नोलॉजी फंड (आई.ए.बी.एफ):** विभाग ने नए प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए आई.ए.बी.एफ के **12** वें दौर का आयोजन किया। आई.ए.बी.एफ सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों का समर्थन करता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग करने में सहयोग करता है। भारतीय और ऑस्ट्रेलिया के पारस्परिक हितों के प्रस्तावों अर्थात कैंसर चिकित्सा विज्ञान/चिकित्साशास्त्र, जीनोमिक और सटीक दवा और कीट-प्रतिरोधी फसलों के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मूल्यांकन किया गया।

ग. **इंडो-स्वीडन वेबिनार**: बायोटक्नोलॉजी विभाग और स्वीडन के विन्नोवा के बीच एआई के माध्यम से एडवांस हेल्थकेयर पर एमएस-टीमों के मंच के माध्यम से **5** मई को एक वेबिनार आयोजित किया गया था। वेबिनार डिजिटल हेल्थकेयर के लिए संयुक्त कॉल के लिए सहयोग, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र और भारतीय और स्वीडिश भागीदारों के बीच तालमेल बनाने की सुविधा की सफलता की कहानियों पर प्रकाश डालता है। वेबिनार के लिए **500** से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया।

घ. **भारत-यूरोपीय संघ सहयोग**: विभाग ने यूरोपीय आयोग (ईसी) के साथ साझेदारी में **30** मई, **2020** को 'क्षितिज **2020**' कार्यक्रम के तहत कोविड **-19** के बारे में अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के लिए सह-वित्त पोषण प्रस्तावों की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य नवीन और तेजी से स्वास्थ्य से संबंधित दृष्टिकोण का विकास करना है और कोविड **-19** जैसी आपात स्थितियों को कम करने के लिए समाज और स्वास्थ्य प्रणालियों की उच्च तैयारी के लिए प्रासंगिक त्वरित परिणाम प्रदान करना है। डीबीटी ने निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करते हुए **4** आमंत्रण विषयों में भाग लेने के लिए सहमति व्यक्त की है: -

- महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति और उपकरणों के लिए विनिर्माण का पुन: प्रस्ताव करना
- निगरानी और उच्च प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (टीआरएल) की देखभाल में सुधार करने के लिए चिकित्सा प्रौद्योगिकी, डिजिटल उपकरण और कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) विश्लेषिकी
- पैन-यूरोपीय कोविड-**19** कोहर्टस || अनुसंधान और नवाचार कार्रवाई
- कोविड-**19** से प्रासंगिक मौजूदा यूरोपीय संघ और अंतरराष्ट्रीय संघों के बीच नेटवर्किंग

iv) कृषि जैव प्रौद्योगिकी

क. **कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के वैज्ञानिक और तकनीकी सलाहकार और मूल्यांकन समूह (एसटीएजी) की चौथी (4) बैठक** **26** मई, **2020** को ऑनलाइन आयोजित की गई थी। बैठक में कुल **24** परियोजना प्रस्ताव (कृषि और पादप विज्ञान में **8,** पशु जैव प्रौद्योगिकी में **9** तथा मात्स्यिकी और समुद्री जैवप्रौद्योगिकी में 7) प्रस्तुत किए गए। समिति ने **18** प्रस्तावों (कृषि और पादप विज्ञान के **7** प्रस्ताव, पशु जैव प्रौद्योगिकी के **4** प्रस्ताव और एक को सर्वोच्च बैठक में प्रस्तुति के लिए अनुमति दी है, समुद्री जैवप्रौद्योगिकी और मात्स्यिकी में 6 प्रस्ताव) अनुमोदित किए हैं।

v) क्षमता निर्माण अवसंरचना और मानव संसाधन विकास (एचआरडी)

क. **मानव संसाधन विकास पर कार्य बल की चौथी बैठक**: स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए एनआईसी वेब पोर्टल द्वारा **16** से **23** अप्रैल**, 2020** तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्य बल की बैठक का आयोजन किया गया था। **113** समन्वयकों ने प्रस्ताव पेश किए। कार्य बल ने **15** वें वित्त आयोग की अवधि के लिए बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा वित्तीय सहायता के लिए **71** प्रस्तावों की अनुशंसा की। मंथन सत्र के बाद समिति ने अनिवार्य नियम और शर्तें और प्रवेश प्रक्रिया की सिफारिश की जिसका पालन **2020-21** से किया जाएगा। कार्य बल की सिफारिशों को डीबीटी के नियमों और शर्तों की स्वीकृति के लिए **71** विश्वविद्यालयों/संस्थानों को सूचित किया गया और जैव प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी**,** फरीदाबाद के क्षेत्रीय केंद्र द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित

ख. **आरआरएसएफपी पर कार्य बल की बैठक**: बीयूआईएलडीईआर श्रेणी के तहत प्राप्त प्रस्तावों के चयन के लिए **27** और **28** मई**, 2020** को बैठक बुलाई गई थी और देश भर में स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम के लिए बुनियादी ढांचे के समर्थन के लिए **16** प्रस्तावों की सिफारिश की गई थी।

ग. आरसीबी, फरीदाबाद द्वारा "**ईएसआरएफ, फ्रांस में मैक्रोमोलेक्युलर क्रिस्टलोग्राफी बीमलाइन तक पहुंच**" के चरण III के लिए समर्थन जारी रखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था और तदनुसार के लिए सिफारिश की गई थी।

(vi) जैव सुरक्षा और विनियम

क. **जेनेटिक मैनीपुलेशन (आरसीजीएम) की समीक्षा समिति**: जेनेटिक मैनीपुलेशन (आरसीजीएम) की समीक्षा समिति की **183** वीं बैठक **05.05.2020** को आयोजित की गई थी। बैठक में समिति ने **50** आवेदनों पर विचार किया**,** जिसमें विभिन्न आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना की मदें भी शामिल हैं। प्रत्येक आवेदन पर विचार-विमर्श के बाद**,** आरसीजीएम द्वारा उचित निर्णय लिया गया।

ख. **संस्थागत जैव सुरक्षा समितियां**: आईबीकेपी पोर्टल पर चौबीस (**24**) संस्थागत जैव सुरक्षा समितियों का गठन किया गया था। वर्तमान कोविड **19** स्थिति को ध्यान में रखते हुए**,** आईबीएससीएस को **30** जून**, 2020** तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित करने की अनुमति दी गई थी।

ग. **कोविड**-19 **वैक्सीन विकास के लिए रैपिड रिस्पॉन्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क**: कोविड **19** के लिए पुनः संयोजक वैक्सीन से संबंधित अनुप्रयोगों के फास्ट ट्रैक प्रसंस्करण के लिए रैपिड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क विकसित किया गया है**,** और मार्गदर्शन नोट और चेक लिस्ट **26.20.2020** को जारी किया गया है।

घ. **कोविड**-19 **से संबंधित अनुसंधान और विकास के लिए त्वरित प्रतिक्रिया नियामक प्रक्रिया**: कोविड **19** के बारे में **12** मामलों पर अनुसंधान एवं विकास करने वाले आवेदकों को फास्ट ट्रैक आधार पर अनुमति जारी की गई थी।

ङ. **डीजीएफटी मामले**: एससीओएमईटी **(** विशेष रसायन**,** जीव**,** सामग्री**,** उपकरण और प्रौद्योगिकी) वस्तुओं के निर्यात के लिए अनुमति मांगने वाले एक आवेदन पर विभाग की टिप्पणियों से डीजीएफटी को सूचित किया गया।

(vii) **प्रकाशन और पेटेंट**: माह के दौरान विभाग के स्वायत्तशासी संस्थानों द्वारा **57** शोध प्रकाशित और **5** पेटेंट (**2** पंजीकृत और **3** दायर) सूचित किए गए।

(viii) **स्वायत्तशासी संस्थानों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी/उत्पाद**: तीन (**3)**

क. स्पाइक प्रोटीन के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन का उपयोग कर टीका, सार्स कोविड-**2** के विरुद्ध आईजीजी एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए एक एलिसा विकसित की गई है। विकसित आईजीजी एलिसा की संवेदनशीलता लक्षणों की शुरुआत से **14** दिनों के बाद या आरटी-पीसीआर परीक्षण से **14** दिनों के बाद **100%** है। विशिष्टता **98.6%** है।

ख. एक रसायन आधारित कीटाणुनाशक है जिसे अस्पतालों में उपयोग के लिए सुरक्षात्मक मास्क और चौग़ा बनाने के लिए कपड़े पर लगाया जा सकता है और अन्य नैदानिक जांच चल रही है।

ग. घाव भरने के लिए उपयोगी कर्कोसन-अल्जाइनेट स्पंज तैयार करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित की गई थी। उपरोक्त तकनीकों के व्यावसायीकरण के लिए फार्मास्युटिकल कंपनी गोलैप फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर, राजस्थान में अंतरित कर दिया गया है।

II. महत्वपूर्ण मामलों/मुद्दों पर अनुपालन रिपोर्ट

(i) लंबे समय तक अंतर मंत्रालयी परामर्श के कारण लंबित महत्वपूर्ण नीतिगत मामले: लागू नहीं

(ii) मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडलीय समिति के निर्णयों का अनुपालन:लागू नहीं

अनुपालन के लिए लंबित सीओएस निर्णयों की संख्या	सीओएस निर्णयों के अनुपालन के लिए प्रस्तावित कार्य योजना / समय-सीमा	अभ्युक्तियां
-	-	-

(iii) तीन माह से अधिक लंबित 'संस्वीकृति आदेश' मामलों की संख्या: शून्य

(iv) ऐसे मामलों का विवरण जिसमें लेन-देन किया गया है: शून्य

(v) सरकार की स्थापित नीति अथवा नियम: लागू नहीं

(vi) ई-गर्वनेंस के कार्यान्वयन की स्थिति:

सक्रिय फाईलों की कुल संख्या: **8221**	मई, 2020 के दौरान सृजित ई-फाईलों की कुल संख्या: **196**

(vii) लोक शिकायतों की स्थिति:

माह के दौरान निपटाई गई लोक शिकायतों की संख्या: **134**	माह के अंत तक लंबित लोक शिकायतों की संख्या: **12**

(viii) मंत्रालय/विभाग द्वारा गर्वनेंस और विकास में स्थान, प्रौद्योगिकी आधारित उपकरणों के प्रयोग तथा अनुप्रयोग में उठाए गए विशिष्ट कदमों की जानकारी: शून्य

(ix) यह पुष्टि करना कि मंत्रालय/विभाग और उसके संगठनों के सभी पदों की संख्या का ब्यौरा जो एसीसी के दायरे में आता है, उन्हें एवीएमएस पर अद्यतन किया गया है: यह पुष्टि की जाती है कि मंत्रालय/विभाग (दोनों में सभी पदों का इनकंबेंसी विवरण) एसीसी के दायरे में आने वाले स्वायत्त संस्थानों और डीबीटी के तहत पीएसयू) को एवीएमएस पर अद्यतन किया गया है।

(x) एसीसी के निर्देशों के अनुपालन के बारे में स्थिति। मामलों पर एक पैराग्राफ जिसमें एसीसी दिशाओं को अलग-अलग शीर्षक के साथ संकलित नहीं किया गया है: यह पुष्टि की जाती है कि एसीसी के निर्देशों का अनुपालन किया जाता है।

(xi) उन मामलों की स्थिति, जहां पीईएसबी से सिफारिशें प्राप्त हुई हैं, लेकिन प्रस्ताव अभी तक एसीसी सचिवालय को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं: यह कहा गया है कि इसे 'शून्य' माना जाए।

(xii) सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) की स्थिति: मई, 2020 माह में जीईएम के माध्यम से की गई खरीद शून्य है।